सत्यमेव जयते

दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश

अध्यक्षीय कार्यालय: जनपद न्यायालय, बदायूँ
कैम्प कार्यालय: जनपद न्यायालय, श्रावस्ती
(राजाज्ञा सं0 1083/7–137, 17/27–1928 तथा संख्या 99/7139, दिनांक 22 जनवरी 1931 द्वारा मान्यता प्राप्त)

डॉ0 नृपेन्द्र सिंह
प्रदेश अध्यक्ष
अध्यक्षीय कार्यालय बदायूं
सं0सूत्र: 9412462719, 9259049509

संदीप चौहान
संरक्षक
सं0सूत्र: 9451239147

नरेन्द्र विक्रम सिंह
प्रदेश महासचिव
महासचिव कार्यालय श्रावस्ती
सं0सूत्र: 9415572022, 7398372302

वरिष्ठ उपाध्यक्ष
अभिषेक सिंह (इलाहाबाद)

उपाध्यक्ष
हरि शंकर श्रीवास्तव (लखीमपुर)
सैय्यद मोहम्मद ताहा (बाराबंकी)
विवेक दत्त उपाध्याय (फर्रुखाबाद)

उपाध्यक्ष (मनोनीत)
अमरेश चन्द दुबे (मिर्जापुर)
जय शंकर त्रिवेदी (बाराबंकी)
संजीव विश्वकर्मा (गौतमबुद्धनगर)
प्रतिभा तोमर (हापुड़)
विवेक त्रिपाठी (चन्दौली)
धीरेन्द्र सिंह (कानपुर देहात)
अवनीश श्रीवास्तव (इलाहाबाद)

संयुक्त सचिव
अनिल कुमार श्रीवास्तव (अम्बेडकरनगर)
प्रिय रंजन किशोर (बागपत)
प्रेम नारायण (सीतापुर)
संदीप कुमार यादव (सहारनपुर)

संयुक्त सचिव (मनोनीत)
श्रीभागवत शुक्ल (बस्ती)

संगठन सचिव
देवराज सिंह (अलीगढ़)
अवधेश खरे (ललितपुर)
सुधीर कुमार श्रीवास्तव (श्रावस्ती)
सुधीर कुमार विश्नोई (बिजनौर)

संगठन सचिव (मनोनीत)
अजय गर्ग (मुजफ्फरनगर)

कोषाध्यक्ष
नीरज श्रीवास्तव (लखनऊ)

सांस्कृतिक सचिव
रतन कुमार श्रीवास्तव (इलाहाबाद)

पत्रांक : 31/2021 दिनांक: 06-06-2021

सेवा में,

श्रीमान् महानिबन्धक महोदय,
माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

विषय : अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारियों की पदोन्नति, स्थायीकरण व अन्य महत्वपूर्ण समस्याओं के सन्दर्भ में।

महोदय,

माननीय न्यायालय द्वारा समय-समय पर अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारियों की पदोन्नति एवं अन्य लाभ हेतु निरन्तर आदेश पारित किये जा रहे हैं। परन्तु अधीनस्थ न्यायालयों में कर्मचारियों के पदोन्नति की प्रक्रिया धरातल पर क्रियान्वित नही हो पा रही।

उपर्युक्त विषय के संबंध में संघ माननीय न्यायालय के समक्ष पूर्ण श्रद्धा व विश्वास के साथ निम्न निवेदन करना चाहता है :-

- महोदय नवनियुक्त न्यायिक कर्मचारी जो सन्तोषजनक सेवाएं देते हुए नियमानुसार निर्धारित परीविक्षा की अवधि पूर्ण कर चुके हैं, उन नवनियुक्त कर्मचारियों द्वारा परीविक्षा अवधि समाप्त करने सम्बन्धित प्रार्थना पत्र प्रेषित करने बावजूद कुछ जनपद न्यायालयों द्वारा उनकी परीविक्षा अवधि समाप्त नही की जा रही है। कृपया संज्ञान लेकन उचित आदेश पारित करने की कृपा करें।
- महोदय जनपद न्यायालयों में सेवा देते हुए कई वर्ष बीत जाने के बाद भी **न्यायिक कर्मचारियों का Confirmation/स्थायीकरण ना किया जाना कर्मचारियों के लिए गम्भीर समस्या बनता जा रहा है। महोदय कर्मचारियों के लिये स्थायीकरण कई परिप्रेक्ष्य में अत्यन्त महत्वपूर्ण होता है।** इस बाबत कर्मचारियों द्वारा बार-बार प्रार्थना पत्र देने के बावजूद **कुछ जनपद न्यायालयों द्वारा कर्मचारियों का स्थायीकरण न किया जाना निराशाजन है।** मा० न्यायालय से विनम्र निवेदन है कि संज्ञान लेकर उचित आदेश पारित करने की कृपा करें।
- महोदय गैर न्यायिक सेवा के कर्मचारियों के लिये प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक आयोग (शेट्टी आयोग) द्वारा की गयी संस्तुतियों के क्रम में अधीनस्थ न्यायालयों में कामन कैटेगरी कर्मचारियों को प्रारम्भिक दर के स्थान पर अद्यतन मूल वेतन पर एक वेतनवृद्धि प्रदान किये जाने हेतु GO दिनांक 23 सितम्बर, 2013 का लाभ कई जिलों के कर्मचारियों द्वारा बार-बार प्रार्थना पत्र प्रेषित कर अनुरोध किये जाने के बावजूद नही प्रदान किया जा रहा है। महोदय मा० न्यायालय से विनम्र निवेदन है कि उचित दिशा निर्देश जारी करने की कृपा करें।

क्रमशः ....2 पर

डॉ0 नृपेन्द्र सिंह
प्रदेश अध्यक्ष
अध्यक्षीय कार्यालय बदांयू
सं0सूत्रः 9412462719, 9259049509

संदीप चौहान
संरक्षक
सं0सूत्रः 9451239147

नरेन्द्र विक्रम सिंह
प्रदेश महासचिव
महासचिव कार्यालय श्रावस्ती
सं0सूत्रः 9415572022, 7398372302

वरिष्ठ उपाध्यक्ष
अभिषेक सिंह (इलाहाबाद)
उपाध्यक्ष
हरि शंकर श्रीवास्तव (लखीमपुर)
सैय्यद मोहम्मद ताहा (बाराबंकी)
विवेक दत्त उपाध्याय (फर्रुखाबाद)
उपाध्यक्ष (मनोनीत)
अमरेश चन्द दुबे (मिर्जापुर)
जय शंकर त्रिवेदी (बाराबंकी)
संजीव विश्वकर्मा (गौतमबुद्धनगर)
प्रतिभा तोमर (हापुड़)
विवेक त्रिपाठी (चन्दौली)
धीरेन्द्र सिंह (कानपुर देहात)
अवनीश श्रीवास्तव (इलाहाबाद)
संयुक्त सचिव
अनिल कुमार श्रीवास्तव (अम्बेडकरनगर)
प्रिय रंजन किशोर (बागपत)
प्रेम नारायण (सीतापुर)
संदीप कुमार यादव (सहारनपुर)
संयुक्त सचिव (मनोनीत)
श्रीभागवत शुक्ल (बस्ती)
संगठन सचिव
देवराज सिंह (अलीगढ़)
अवधेश खरे (ललितपुर)
सुधीर कुमार श्रीवास्तव (श्रावस्ती)
सुधीर कुमार विश्नोई (बिजनौर)
संगठन सचिव (मनोनीत)
अजय गर्ग (मुजफ्फरनगर)
कोषाध्यक्ष
नीरज श्रीवास्तव (लखनऊ)
सांस्कृतिक सचिव
रतन कुमार श्रीवास्तव (इलाहाबाद)

- महोदय, माननीय उच्च न्यायालय के पत्र सं०-4197/VIIb/Admin 'D' Section/ dt. 09.04.2019 के द्वारा **देय प्रशिक्षु के पद से कनिष्ठ सहायक के पद पर प्रोन्नति हेतु प्रावधानों का उल्लेख करते हुए दिये गये निर्देश के बाद भी कई जनपद न्यायालयों द्वारा वर्ष** 2015 **बैच और उसके बाद के वर्षो में नियुक्त कर्मचारियों की प्रोन्नति 'स्थान रिक्त होने के बावजूद' देय प्रशिक्षु के पद से कनिष्ठ सहायक के पद पर अभी तक नही की गयी है**, जो अत्यन्त पीड़ादायक है। महोदय, वर्ष 2015 बैच के कर्मचारियों का कनिष्ठ सहायक के पद पर प्रोन्नति न हो पाने के कारण माननीय उच्च न्यायालय के पत्र सं०-5345/2019/ RecruitmentCell /Allahabad HC dt.09.08.2019 के द्वारा **कनिष्ठ सहायक के पद से वरिष्ठ सहायक** के पद पर **पदोन्नति हेतु शिथिलीकरण प्रदान किये जाने हेतु विशेष आदेश पारित करने का लाभ उक्त कर्मचारियों को नही मिल पाया है। फलस्वरूप 2015 बैच के कई कर्मचारियों को जहाँ वर्तमान में वरिष्ठ सहायक के पद का लाभ मिलता वह अभी भी देय प्रशिक्षु के पद पर ही कार्यरत हैं जो अत्यन्त निराशाजनक है।**
- महोदय कुछ जनपद न्यायालयों में 2015 बैच के देय प्रशिक्षुओं को कनिष्ठ सहायक पद पर पदोन्नति तो दे दी गयी **परन्तु माननीय उच्च न्यायालय के पत्र सं०-5345/2019/ RecruitmentCell/AllahabadHC dt.09.08.2019 द्वारा प्रदत्त शिथिलिकरण के मानको को पूरो करने के बावजूद उपरोक्त शिथिलिकरण का लाभ प्रदान कर वरिष्ठ सहायक पद पर पदोन्नति नही दी गयी है।** संघ के संज्ञान में यह भी आया कि **कुछ जनपदों में अब तक 2015 बैच के कनिष्ठ सहायक पद पर चयनित कर्मचारियों को भी उपरोक्त पत्र का लाभ देकर वरिष्ठ सहायक पद पर पदोन्नति नहीं दी गयी है।** महोदय, माननीय न्यायालय के आदेश के बावजूद कुछ जनपद न्यायलयों द्वारा कर्मचारी हितों के प्रति उदासीन रवैया कर्मचारियों के लिये मानसिक अवसाद व आर्थिक क्षति का बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है। कृपया उपरोक्त प्रकरण को संज्ञान में लेकर उचित दिशा निर्देश जारी करने की कृपा करें।
- महोदय, माननीय न्यायालय द्वारा **चतुर्थ श्रेणी से तृतीय संवर्ग** में पदोन्नति का लाभ प्रदान करने सम्बन्धित स्पष्ट आदेश पारित करने के बाद भी कुछ जिला न्यायालयों द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के प्रमोशन को लेकर गम्भीर ना होना चिन्ताजनक है।
- **महोदय तृतीय संवर्ग के अन्य पदों पर स्थान रिक्त होने और मा० न्यायालय द्वारा पदोन्नति करने सम्बन्धित आदेश निर्गत किये जाने के बावजूद पदोन्नति न किया जाना तथा विभागीय जांच में कर्मचारियों के दोषमुक्त होने के पश्चात भी उनको पदोन्नति का लाभ न प्रदान किये जाने का प्रकरण कर्मचारियों में घोर निराशा पैदा कर रहा है।** मा० न्यायालय से विनम्र अनुरोध है कि संज्ञान में लेकर उचित दिशा निर्देश पारित करने की कृपा करें।

क्रमशः ....3 पर

सत्यमेव जयते

दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश

अध्यक्षीय कार्यालयः जनपद न्यायालय, बदायूँ
कैम्प कार्यालयः जनपद न्यायालय, श्रावस्ती
(राजाज्ञा सं0 1083/7–137, 17/27–1928 तथा संख्या 99/7139, दिनांक 22 जनवरी 1931 द्वारा मान्यता प्राप्त)

डॉ0 नृपेन्द्र सिंह
प्रदेश अध्यक्ष
अध्यक्षीय कार्यालय बदांयू
सं0सूत्रः 9412462719, 9259049509

संदीप चौहान
संरक्षक
सं0सूत्रः 9451239147

नरेन्द्र विक्रम सिंह
प्रदेश महासचिव
महासचिव कार्यालय श्रावस्ती
सं0सूत्रः 9415572022, 7398372302

वरिष्ठ उपाध्यक्ष
अभिषेक सिंह (इलाहाबाद)
उपाध्यक्ष
हरि शंकर श्रीवास्तव (लखीमपुर)
सैय्यद मोहम्मद ताहा (बाराबंकी)
विवेक दत्त उपाध्याय (फर्रुखाबाद)
उपाध्यक्ष (मनोनीत)
अमरेश चन्द दुबे (मिर्जापुर)
जय शंकर त्रिवेदी (बाराबंकी)
संजीव विश्वकर्मा (गौतमबुद्धनगर)
प्रतिभा तोमर (हापुड़)
विवेक त्रिपाठी (चन्दौली)
धीरेन्द्र सिंह (कानपुर देहात)
अवनीश श्रीवास्तव (इलाहाबाद)
संयुक्त सचिव
अनिल कुमार श्रीवास्तव (अम्बेडकरनगर)
प्रिय रंजन किशोर (बागपत)
प्रेम नारायण (सीतापुर)
संदीप कुमार यादव (सहारनपुर)
संयुक्त सचिव (मनोनीत)
श्रीभागवत शुक्ल (बस्ती)
संगठन सचिव
देवराज सिंह (अलीगढ़)
अवधेश खरे (ललितपुर)
सुधीर कुमार श्रीवास्तव (श्रावस्ती)
सुधीर कुमार विश्नोई (बिजनौर)
संगठन सचिव (मनोनीत)
अजय गर्ग (मुजफ्फरनगर)
कोषाध्यक्ष
नीरज श्रीवास्तव (लखनऊ)
सांस्कृतिक सचिव
रतन कुमार श्रीवास्तव (इलाहाबाद)

- महोदय संघ द्वारा माननीय न्यायालय के सम्मुख **मुख्य प्रशासनिक अधिकारी पद पर पदोन्नति** से सम्बन्धित पूर्व में भी कई पत्र प्रेषित किये जा चुके हैं जिस पर शिथिलिकरण से सम्बन्धित आदेश अपेक्षित है। महोदय अवगत कराना है कि **मुख्य प्रशासनिक अधिकारी पद पर पदोन्नत की प्रक्रिया अत्यन्त जटिल होने के कारण कई जनपद न्यायालयों में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पद विगत कई वर्षों से रिक्त पड़े हैं। महोदय मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पदों पर पदोन्नति से सम्बन्धित यथाशीघ्र उचित दिशा निर्देश देने की कृपा करें जिससे जिला न्यायालयों में प्रशासनिक कार्यों का संचालन स्थायित्व प्राप्त कर सके व प्रशासनिक कार्य प्रभावी ढंग से संचालित हो सके।**

सम्माननीय महोदय पदोन्नति से सम्बन्धित उपरोक्त सभी समस्याएं जनपद न्यायालय में समय के साथ एक जटिल रूप लेती जा रही है जिसके कारण कर्मचारियों का मानसिक तथा आर्थिक शोषण हो रहा है जिसकी प्रतिपूर्ति निकट भविष्य में कर पाना सम्भव नही होगा। माननीय न्यायालय से विनम्र निवेदन है कि उपरोक्त सभी बिन्दुओं हेतु स्पष्ट आदेश पारित करने की कृपा करें।

महोदय संघ द्वारा प्रेषित पत्र को माननीय न्यायालय के समक्ष कृपापूर्ण आदेशार्थ प्रस्तुत करने की कृपा करें।

संघ आपका आभारी रहेगा ....

आपका

(नरेन्द्र विक्रम सिंह)
प्रांतीय महासचिव
दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ
उत्तर प्रदेश

आपका

(डॉ0 नृपेन्द्र सिंह)
प्रांतीय अध्यक्ष
दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ
उत्तर प्रदेश